भारत सरकार
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
भूमि और विकास कार्यालय
निर्माण भवन : नई दिल्ली

सं. 24(372)/2000-सीडीएन/ दिनांक: 12 अप्रैल, 2004

कार्यालय आदेश सं. 3/2004

विषयः परिशोधित अंतरण नीति के अनुसार दुरूपयोग/हर्जाना प्रभारों की वसूली- संबंध में।

****

अगस्त, 2003 में लागू की गई परिशोधित अंतरण नीति के अनुसार इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि राशि की पहले मांग की गई थी अथवा नहीं, अंतरण की अनुमति देने से पूर्व दुरूपयोग और हर्जाना प्रभारों की वसूली की जानी है। अब कुछ अनुभागों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अंतरण आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद भी दुरूपयोग और हर्जाना प्रभारों की वसूली की जानी है और यदि हां, किस तारीख तक इन प्रभारों की वसूली की जानी है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरण की अनुमति से पूर्व हर्जाना और दुरूपयोग प्रभारों की वसूली के लिए प्रावधान हेतु अंतरण नीति में संशोधन करने का मूल प्रयोजन विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के संबंध में अंतिम फैसला लेने और मांग करने में विलंब की वजह से सरकार को नुकसान से बचाना है। संशोधित नीति के मद्देनजर, इसे नजरअंदाज करते हुए अद्यतन हर्जाना और दुरूपयोग प्रभार की वसूली की जानी है कि अंतरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। उस तारीख के संबंध में, जिस तारीख तक ये प्रभार वसूली किए जाने हैं, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रभारों की मांग की जाए जैसा उन मामलों में होता है जिनमें अंतरण आवेदन-पत्र नहीं मिला है अर्थात इसे नज़रअंदाज करते हुए कि अंतरण के साथ पूरे अंतरण शुल्क का भुगतान किया गया है अथवा नहीं, यदि जनवरी से जून की अवधि के बीच मांग नोटिस जारी नहीं किया गया है, परवर्ती 14 जुलाई तक दुरूपयोग और हर्जाना प्रभारों की मांग की जा सकती है, जबकि यदि मांग जुलाई से दिसंबर के बीच जारी की गई है, इन प्रभारों की मांग परवर्ती 14 जनवरी तक की जाए।

2. तथापि, अंतरण मामलों से संबंधित सभी अनुभाग और तकनीकी अनुभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर्जाना/दुरूपयोग प्रभारों की गणना प्राथमिकता आधार पर की जाती है और कि मांग नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी कर दिया गया है और इस संबंध में होने वाले विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसे भूमि और विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(वी. श्री कुमार)
जनसंपर्क अधिकारी

सेवा में,

सभी अधिकारी और अनुभाग।